न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 28 / 2016

उनवान

1. अम्बालाल पुत्र हीरा लाल गुर्जर निवासी गुलखेडा (रघुनाथपुरा) तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,आसीन्द हाल तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के
प्रकरण संख्या 97 / 08, 725 / 2010 निर्णय
एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री बी एल गुर्जर , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 19.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुलखेडा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा की साबिक आराजी नम्बर 155 मीन रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

26 बीघा 19 बिस्वा किस्म पडत द्वितीय में से जरिये पत्रावली क्रमांक 464/89 से 2 बीघा भूमि आवंटित होकर इन्तकाल नम्बर 134 दिनांक 30.7.1990 से राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गैर खातेदारी से दर्ज किया गया । आवंटन के समय से ही वादी का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजी के नवीन आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 हेक्टर दर्ज किये गये तथा वादी का आवंटितशुदा रकबा 2 बीघा को उक्त नवीन नम्बर में समायोजित करते हुए आराजी को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई। भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग को पुरानी प्रविष्टि को ही रिपिट करना होता है। परन्तु भू बन्दोबस्त अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर वादी को आंवटित आराजी का नवीन नम्बर दर्ज कर अलग भू माप फलावट से दर्ज कर हाल आराजी नम्बर 132 में वादी का आवंटितशुदा रकबा मर्ज करते हुए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई। जबकि किसी भी भूमि को आरक्षित किये जाने से पूर्व खातेदार का नाम व मौके पर कब्जे की जानकारी की जानी चाहिये थी। वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार था जिसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । वादी के भरण–पोषण हेतु वादग्रस्त भूमि ही उसके पास उपलब्ध हैं । यदि भूमि को वादी के नाम पुनः खातेदारी से दर्ज नहीं की जाती है तो वादी के परिवार के भरण–पोषण में परेशानी उत्पन्न हो जायेगी। वादग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वादी ने काफी मेहनत व राशि व्यय की है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी एवं न ही उनके अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य की जानकारी अपीलार्थी को दी गई। जब अपीलार्थी अपने अधिवक्ता के पास गया तब जाकर अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। तब जाकर अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गुलखेडा (रघुनाथपुरा) तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर की साबिक आराजी नम्बर 155 मीन में से 2 बीघा भूमि अपीलार्थी के खाते व कब्जेकाश्त की थी। जिसे बिना किसी अधिकार के भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हाल आराजी नम्बर 132 कायम कर बिलानाम भूमि दर्ज कर दी गई। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस तथ्य को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी ने साक्ष्य से बखूबी साबित भी कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकियात कायम की । उन तनकियात को साक्ष्य एवं दस्तावेज से अपीलार्थी /वादी ने साबित कराया है। उसक बावजूद अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिववक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए काफी श्रम एवं राशि खर्च की है। मौके पर अपीलार्थी का आज भी कब्जाकाश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान अपीलार्थी/वादी के कब्जसुदा आराजी को राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बिलानाम दर्ज कर दिया गया । इससे पूर्व अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी को वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

8. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त भूमि आरक्षित किये जाने के समय बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थी/वादी को ग्राम गुलखेडा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द की साबिक आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा किस्म पडत में से 2 बीघा भूमि का पत्रावली क्रमांक 464/89 से आवंटन की गई थी। जिसे राजस्व रेकार्ड में इन्तकाल नम्बर 134 दिनांक 30.7.1990 से अपीलार्थी/वादी के नाम जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में गैर खातेदारी से दर्ज किया गया। इस तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी ग्राम रघुनाथपुरा संवत 2033 से 2036 प्रदर्श 1 से होती है। भू प्रबन्ध के उपरान्त आराजी नम्बर 155 मीन के नवीन आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 एवं आराजी नम्बर 133 रकबा 0.27 हे0 कायम किये गये । इस तथ्य की पुष्टि भी मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 2 से होती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थी/वादी का कथन है कि वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा में से जिस भू भाग 2 बीघा भूमि पर अपीलार्थी/वादी को कब्जा सौंपा गया था। उस पर आवंटन के पश्चात से लगातार वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को उसने उपजाऊ बनाने के लिए श्रम एवं राशि व्यय की है। अपीलार्थी/वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बीघा में से किस भू भाग पर उसे कब्जा सुपुर्द किया गया एवं उसे नक्शे में कहॉ पर पैमूद किया गया।

12. अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी को साबिक आराजी नम्बर 155 मीन में से 2 बीघा भूमि पर उसका कब्जा था उसके भू प्रबन्ध के बाद नवीन आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 हेक्टर कायम किये गये । जिसमें से अपीलार्थी/वादी को आवंटित 2 बीघा रकबा इसमें समायोजित कर दिया गया तथा हाल आराजी नम्बर 132 आवंटित रकबे को संयोजित करते हुए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2061 से 2064 में हाल आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 बीड को बिलानाम गैर काबिलकाश्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का इन्द्राज किया हुआ है। जो प्रदर्श 3 है। इसी प्रकार जमाबंदी खतौनी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार क्षेत्र जगपुरा संवत 2061 से 2064 में भी वादग्रस्त आराजी नम्बर 132 रकबा 2. 16 हेक्टर को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का इन्द्राज किया हुआ है जो प्रदर्श 4 है। यद्यपि अपीलार्थी/वादी ने अपने कथनों की ताईद में गवाह के रूप

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में स्वयं के बयान पी डब्ल्यु 1 तथा गवाह पी डब्ल्यू 2 उदा आत्मज बगतावर गुर्जर निवासी गुलखेडा के बयान पंजिबद्ध कराये है परन्तु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात से अपीलार्थी/वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त साबित होता हो।

13. नक्शे में साबिक आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बीघा में से अपीलार्थी/वादी को जो 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया । यदि उस पर अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त होता एवं राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया हुआ होता तो उसका इन्द्राज उसी रूप में भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता । अपीलार्थी/वादी का वक्त भू प्रबन्ध कब्जाकाश्त नहीं होने से एवं नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को आवंटित भूमि को नहीं दर्शाया गया । जिस कारण वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की गई। चूंकि वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के समय भूमि की किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज थी एवं अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त नहीं था । इसलिए अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

14. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

19/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/28/2016

उनवान

1. अम्बालाल पुत्र हीरा लाल गुर्जर निवासी गुलखेडा (रघुनाथपुरा) तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,आसीन्द हाल तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के
प्रकरण संख्या 97/08, 725/2010 निर्णय
एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री बी एल गुर्जर , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता
अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/28/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनोर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 19.2.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल गुर्जर वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 19.2.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 19.2.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

19/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस